न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–०५/२०१९

अभिषेक राय उर्फ प्रिंस उम्र लगभग २८ वर्ष पुत्र महेन्द्र प्रताप राय, निवासी रामपुर बक्स, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार.....विपक्षी

११.०१.२०१९

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक राय उर्फ प्रिंस की ओर से मु० अ० सं० २५१/२०१८, अं० धारा ८/२२ एन० डी० पी० एस० ऐक्ट , थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ के मामले में यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र सुरेन्द्र प्रताप राय का प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक १३.१२.२०१८ को समयकरीब २१.४५ बजे रात्रि में वादी मुकदमा एस० ओ० दिनेश पाठक ने हमराही पुलिस कर्मचारीगण के साथ छोटी सरजू नदी के किनारे ग्राम भैरोदासपुर में अभियुक्त अभिषेक राय उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार किया । एक अन्य व्यक्ति जो मौके से भागने में सफल रहा , उसका नाम उक्त पकड़े गये अभियुक्त ने रोहित सिंह बताया । अभियुक्त अभिषेक राय उर्फ प्रिंस के जीन्स की दाहिने जेब से प्लास्टिक की थैली में २०० ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम बरामद हुआ तथा पास में रखा एक अदद चोरी का गल्ले का लकड़ी का बक्सा, एक आधार कार्ड परमानन्द उपाध्याय, १०० रूपये की एक नोट, ५० रूपये की ०२ नोट , १० रूपये के कुल ०८ नोट कुल रूपया २८० तथा०५ रूपये का एक सिक्का, २ रूपये का कु७ ४९ सिक्का ०१ रूपये का ४४ सिक्का कुल १४७ बरामद हुआ । बरामदशुदा नशीला पावडर डायजापाम की फर्द बरामदगी मौके पर तैयार की गयी तथा फर्द के आधार पर थाना महराजगंज में अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे गलत ढंग से रंजिश वश अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष के पास से फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। धारा २० एन० डी० पी० एस० ऐक्ट के प्राविधान का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त बी० टी० सी० का छात्र है तथा उसका भविष्य खराब करने के उद्देश्य से कथित मामले में फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत की मांग

की गयी।

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उसके पास से २०० ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम बरामद होने का अभियोग है। बरामदशुदा नशीला पाउडर की मात्रा व्यवसायिक मात्रा से काफी कम है । बरामदशुदा नशीला पाउडर के डायजापाम होने के सम्बन्ध में कोई परीक्षण रिपोर्ट नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना अभियोजन पक्ष द्वारा दर्शित नहीं किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को बी०टी०सी०का छात्र होना बताया गया है। वह दिनांक १४.१२.२०१८ से जेल में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त व सन्तोषजनक आधार पाया जाता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक राय उर्फ प्रिंस की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० ५०,०००/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

(रमेश सिंह)
प्र०–सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।
११.०१.२०१९